

है के ल

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन भोपाल

क्रमांक / मंडी / प्रांगण / 46 / 8 / पार्ट-2 / 2021 / 913 भोपाल, दिनांक: 28/09/2021

आदेश

म.प्र. राज्य कृषि उपज मंडी भूमि संरचना आवंटन नियम 2009 में प्रस्तावित संशोधन प्रारूप में वर्तमान परिपेक्ष्य में कृषि उपज मंडियों की भूमि के व्ययन हेतु आवश्यक संशोधन के सुझाव हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

- (1) अपर संचालक (वित्त)
- (2) अपर संचालक (नियमन)
- (3) अपर संचालक (प्रांगण) समन्वयक
- (4) अपर संचालक (कार्मिक)
- (5) प्रमुख अभियंता / अधीक्षण यंत्री 01
- (6) प्रबंध संचालक द्वारा नामांकित आंचलिक संयुक्त संचालक
- (7) प्रबंध संचालक द्वारा नामांकित मंडी सचिव
- (8) प्रबंध संचालक द्वारा नामांकित व्यापारी प्रतिनिधि
- (9) प्रबंध संचालक द्वारा नामांकित विधि विशेषज्ञ

उक्त समिति कृषि उपज मंडियों की रिक्त भूमि तथा अक्रियाशील कृषि उपज मंडियों की भूमि संपदा को बोर्ड के निर्देशानुसार मंडियों में आवक में वृद्धि किए जाने हेतु, उन्हे कृषक उपयोगी व्यवस्थाएं तथा सेवाएं देने के लिए, व्ययन किए जाने के उपायों को उपलब्ध कराने हेतु, समुचित उपबंध प्रारूप प्रस्तुत करेगी।



(विकास नरवाल)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल।

क्रमांक / मंडी / प्रांगण / 46 / 8 / पार्ट-2 / 2021 / 914 भोपाल, दिनांक 28/09/2021

प्रतिलिपि:-

- (1) विशेष सहायक, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल।
- (2) निज सचिव अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल।
- (3) निज सहायक, आयुक्त सह प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
- (4) अपर संचालक वित्त / नियमन / प्रांगण / कार्मिक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
- (5) मुख्य अभियंता / अधीक्षण यंत्री 01 म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
- (6) संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
- (7) उप संचालक प्रांगण / नवीन मंडी प्रांगण म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।



आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल।